118

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 1912–एक/2007– विरुद्ध आदेश दिनांक 23–8–2007– पारित द्वारा – अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण क्रमांक 1334/2006–07 अपील

1– पारवती पत्नि हनुमानप्रसाद
2– गुलाबवती पत्नि जानकीप्रसाद गुप्ता
ग्राम कोरहा चिकानटोला
तहसील सीधी जिला सीधी ---आवेदकगण

विरुद्ध

1– महिला राजवती पत्नि कामताप्रसाद सोनी
2– पंचम प्रसाद पुत्र स्व.महावीर सोनी
ग्राम करोदिया दक्षिण टोला तहसील गोपदबनास
जिला सीधी मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री आर.डी.शर्मा)
(अनावेदकगण के विरुद्ध एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 15 – 11 –2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 1334/2006–07 अपील में पारित आदेश दिनांक 23–8–07 के विरुद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि, मौजा करोदिया दक्षिण टोला स्थित भूमि सर्वे कमांक 37/564 रकबा 0.32 है. पंचम प्रसाद सोनी के नाम थी जिसमें से 1500 वर्गफुट भूमि दिनांक 1-9-05 को विकय हुई एंव केतागण का नामान्तरण हुआ। इस नामान्तरण आदेश के विरूद्व महिला राजवती पत्नि कामताप्रसाद सोनी ने अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अध्किारी गोपदबनास ने प्रकरण कमांक 443/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-7-2007 से विलम्ब के आधार पर अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष महिला राजवती पत्नि कामताप्रसाद सोनी ने अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 1334/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-8-07 से अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास का आदेश दिनांक 16-7-2007 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देकर पुनः आदेश पारित किया जाय। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई हैं

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 1334/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-8-07 से अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास का आदेश दिनांक 16-7-2007 निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया है कि हितबद्व पक्षकारों को सुनकर पुनः आदेश पारित किया जाय। फलस्वरूप नीचे के न्यायालय में सभी हितबद्व पक्षकारों को साक्ष्य एंव दस्तावेज प्रस्तुत करके दावा प्रमाणित करने का अवसर प्राप्त है एंव जिन आधारों पर पक्षकार इस न्यायलय में अनुतोष प्राप्त करना

चाहते हैं उसी अनुतोष को वह नीचे के न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 23-8-07 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 1334/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-8-07 उचित होने से यथावत् रखते हुये निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर